## राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क. प.18(6)नविवि / Review / 2014

जयपुर दिनांक 26 AUG 2015

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

> विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टाउनशिप पॅलिसी/अफोर्डेंबल हालसिंग पॅलिसी/भवन विनियम/जयपुर मास्टर प्लान, 2025 के संबंध में चाहे गये

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टाउनशिप पॉलिसी/अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी/भवन विनियम/जयपुर मास्टर प्लान, 2025 के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर पत्न क्र. JDA/ACTP-II/14/D-78 दिनांक 05.05,2014 के क्षारा स्पष्टीकरण चाहे गये थे। विद्यार विमर्श पश्चात् सक्षम स्तर की स्वीकृति उपरान्त विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया जाता है

	2 - 1 - VIIVII 0 - 1	3,111
2.	बिन्दु  2 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल की प्रुष हाजसिंग योजनाओं व अन्य एकल पट्टा प्रकरणों में हु प्रतिशत भूमि सुविधाओं हेत् आरक्षित रखे जाने के संबंध में।  विकासकर्ता द्वारा ग्रुप हाजसिंग की योजना में ई.ज्ञब्ल्यू.एस/एल.आई.जी. फ्लैट्स प्रयोजनार्थ क्षेत्र आरक्षित रखे जाने पर प्रोत्साइन एक.ए.आर. दिये जाने के संबंध में।	स्पष्टीकरण विद्यमान टाउनशिप पॅलिसी, 2010 में ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल पदटा जारी किये जाने हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। यही प्रावधान सभी प्रकार की ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य एकल पट्टा प्रकरणों पर लागू किया जावें। विकासकर्ता द्वारा ग्रुप हाउसिंग योजना में ई.डब्ल्यू एस. / एल.आई.जी. फ्लैट्स का प्रावधान किये जाने पर विकासकर्ता को 0.50 एफ.ए.आर. प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। उपरोक्त एफ.ए.आर. 1.33 + 0. 50 = 1.83 बिना बैटरमेन्ट लेवी के देय है। इससे अधिक एफ.ए.आर. प्रस्तावित होने एक के राम के रूप
2.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के मॉडल सं. 2 के अन्तर्गत डवलपर कोटा के फ्लैट्स अहस्तान्तरणीय रखे जाने के संबंध में।	1 . %

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4. संस्थानिक व वाणिवियाक	द्याउनशिप पॉलिसी में जो स्मातकान निर्धापन किया पर
प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु सड़क की	उनके लिए भवन विभिन्नमा के प्राथमान्य स्थ
न्यूनतम चोड़ाई बाबत।	कार्यवाही की जावे। खताहरणार्थ स्वापिएएम वे संस्थानिक प्रयोजनार्थ मूखण्ड के सामन सङ्क्र की
	को बार्ड भवन विनियमानसार 18 माटर आवर्यका
5. 1000 से 2500 वर्गमीटर के	
भूखण्ड क्षेत्रफल पर सैटबैंक के	का सेंटबेक 7.5 मीटर के स्थान पर 9 मीटर रखे।
संबंध में।	जावें।
Section 6 and 6	and the second second
6. सेटबेक क्षेत्र में बालकनी की जोड़ाई बाबत।	केरी नमने अधिक चौड़ाई की भेटका अधारण
ાં આજાર વાવતા	किये जाने पर अतिरिक्त क्षेत्रफल का आच्छादन पान
	एवं एफ.ए.आर. में शामिल किया जायेगा।
7. मैकेनिकल पार्किंग के संबंध में।	जयपुर विकास प्राधिक्रपम के प्रस्ताव के अनुसार
	कुल वांछित पार्किंग को अधिकतम् 50 मेर्निमतः मेकेनिकेल पार्किंग अनुवार किय आजी ग
	प्रकारिकल पाकिस सेटबंब हो अनुवाय नहीं है। इसकेनिकल पाकिस सेटबंब हो अनुवाय नहीं
	जाने का अनुमोदम किया जाता है।

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

प्रतिक्षिषि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोत्य, नगरीय विकास विसास, राजस्थान सरक
- निजी सर्चिव, अतिरिक्त मध्य समितः नगरीय विकास विभागं।
- सामितः स्वायत्तः शासन् विमासः प्राप्रमुर। आर्युक्तः "र्राजस्थान् आद्यासनं मण्डलः, जयपुर।
- निदशक, स्थानीय निकास विसाग राजस्थान, जयपुर। 5.
- सचिव, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/अजमेर सूचनार्थ एवं आवश्यक
- य नगर सियोजक, राजस्थान, जयपुर
- विकाल क्यास जनस्त का पूचनार्थ एवं आवश्यक

